"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011—माघ 22, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 09/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/212.—दिनांक 02 फरवरी, 2011 को नगर पंचायत पेन्ड्रा, जिला-बिलासपुर के 05 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-09/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. इकबाल उबोवेजा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.
2. गणेश प्रसाद जायसवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.
3. श्रीकांत चतुर्वेदी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.
4. प्रेमलाल हलवाई, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.
5. श्रीमति राधा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 02 फरवरी, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पेन्ड्रा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत पेन्ड्रा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों इकबाल उबोवेजा, गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रेमलाल हलवाई एवं श्रीमती राधा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 6 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों इकबाल उबोवेजा, गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रेमलाल हलवाई एवं श्रीमती राधा को दिनांक 16 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील किया गया है. अभ्यर्थियों गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी एवं श्रीमती राधा द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही उसके बाद आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4.1 अभ्यर्थी इकबाल उबोवेजा ने कारण बताओ सूचना दिनांक 16 मार्च 2010 को तामील होने के उपरान्त जवाब देने हेतु निर्धारित 15 दिवस के पश्चात् दिनांक 29 मई 2010 को अपना जवाब फैक्स से प्रेषित कर उसमें यह उल्लेख किया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था किन्तु एक कालम रिक्त होने से उनका प्रतिनिधि इसे वापस ले आया था जिसे पूर्ण कर जिला निर्वाचन कार्यालय से पावती प्राप्त कर ली गई थी. जिला निर्वाचन कार्यालय पेन्ड्रा से दूर होने तथा बीच में कुछ छुट्टियां पड़ने से निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में कुल विलम्ब हुआ जिसे नजरअंदाज करते हुए उन्हें निरर्हित करने की कार्यवाही से मुक्त रखा जावे.

4.2 अभ्यर्थी इकबाल उबोवेजा द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर से अभिमत प्राप्त किये जाने पर उन्होंने अपने ज्ञापन दिनांक 4 जून 2010 में यह उल्लेख किया है कि इकबाल उबोवेजा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 29 फरवरी 2010 को निर्धारित अवधि के पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलंब का कारण जिला कार्यालय

का दूर होना तथा बीच में छुट्टियां होने का उल्लेख किया है. निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लये 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस की अवधि पर्याप्त थी तथा अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से भी इसे प्रस्तुत कर सकता था. अभ्यर्थी ने प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद भी निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत किया है इसलिए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा.

4.3 अभ्यर्थी इकबाल उबोवेजा को आयोग में समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 24 सितम्बर 2010 को आहूत किया गया उन्हें सूचना पत्र तामील होने पर दिनांक 22 सितम्बर 2010 को फैक्स कर आगामी तिथि के लिए आवेदन किया. तद्नुसार न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर सुनवाई हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2010 निर्धारित कर अभ्यर्थी को इसकी सूचना दी गई जो दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को तामील होने के उपरांत भी अभ्यर्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ. अतएव इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5.1 अभ्यर्थी प्रेमलाल हलवाई ने अपने जवाब दिनांक 18 मई 2010 में यह उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा इनके द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2010 को रिटर्निंग आफिसर एस. के. गौतम के पास जमा किया गया था जिसकी पावती उनके पास है. अभ्यर्थी प्रेमलाल हलवाई द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बिलासपुर से अभिमत लिया गया, उन्होंने अपने ज्ञापन दिनांक 9 अगस्त 2010 में यह अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी प्रेमलाल हलवाई द्वारा प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतएव इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है.

5.2 अभ्यर्थी प्रेमलाल हलवाई को दिनांक 2 दिसम्बर 2010 को सुना गया तथा इनका शपथपूर्वक बयान लिया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 1 जनवरी 2010 को एस. के. गौतम रिटर्निंग आफिसर (तहसीलदार पेन्ड्रा) को प्रस्तुत किया था.

6. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों इकबाल उबोवेजा, गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रेमलाल हलवाई एवं श्रीमती राधा ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पेन्ड्रा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी एवं श्रीमती राधा ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दिया. यद्यपि

अभ्यर्थी इकबाल उबोवेजा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है लेकिन उनके जवाब का परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी प्रेमलाल हलवाई के जवाब तथा शपथपूर्वक बयान से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा विहीत रीति से अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण इकबाल उबोवेजा, गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रेमलाल हलवाई एवं श्रीमती राधा ने प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों इकबाल उबोवेजा, गणेश प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रेमलाल हलवाई एवं श्रीमती राधा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष सात माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 02 फरवरी 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.